RAJYA SABHA

Friday, the 4th November, 1988/ 13th *Kartika,* 1910 *(Saka)*

The House met at eleven of the clockMr. Chairman i$_n$ the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की सिफारिशें

*41. डा० रत्नाकर पाण्डेय :†
श्री बेकल उत्साही :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय दलों ने जिन्होंने विभिन्न राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ों से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए इन राज्यों का दौरा किया था, क्या-क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित राज्यों को इस स्थिति का सामना करने के लिए अब तक किस प्रकार की सहायता प्रदान की है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) सदन के पटल पर विवरण पत्र रखा गया है ।

विवरण

नुकसान की शिकायत करने वाले और सहायता मांगने वाले बाढ़ से प्रभावित राज्यों द्वारा ज्ञापन पेश किए जाने पर केन्द्रीय दल बाढ़ से हुए नुकसान और राज्य द्वारा मांगी गई सहायता राशि का अनुमान लगाने के लिए ऐसे राज्यों का दौरा करते हैं । तदुपरांत उच्च स्तरीय सहायता समिति द्वारा केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार किया जाता है और प्रभावित राज्यों के लिए व्यय सीमाओं की मंजूरी दी जाती है ।

चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय दलों की सिफारिशों पर असम (85.36 करोड़ रु०), आन्ध्र प्रदेश (28.76 करोड़ रु०), गुजरात (27.02 करोड़ रु०), हरियाणा (31.14 करोड़ रु०), जम्मू काश्मीर (प्रथम बार) (14.46 करोड़ रु०), केरल (10.55 करोड़ रु०), सिक्किम (8.49 करोड़ रु०) भूचाल राहत सहित और पश्चिम बंगाल (23.55 करोड रु०) को मुफ्त सहायता, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत व पुनरुद्धार, गृह परिसम्पत्ति की रिप्लेसमेंट, कृषि निवेश अनुदान सरकारी सम्पत्तियों के भौतिक संरचनाओं की मरम्मत और पुनरुद्धार आदि के लिए बाढ़ सहायता हेतु व्यय सीमाओं की मंजूरी दी है । जिन अन्य राज्यों ने केन्द्र से मदद मांगी है, उनके लिए व्यय सहायता ज्ञापन पर कार्रवाई कर निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके व्यय सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं । जहां कहीं राज्य के अपने हिस्से की मार्जिन धन राशि का इस्तेमाल किया जा चुका, वहां ऐसी धन राशि रिलीज करने के लिए उनके अनुरोध पर केन्द्र के हिस्से की मार्जिन धनराशि भी रिलीज कर दी गई है ।

बाढ़ के मामले में, मार्जिन धनराशि के अतिरिक्त कुल अनुमोदित व्यय सीमा के 75 प्रतिशत तक प्रभावित राज्यों को गैर-योजना सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है । आर्थिक सहायता के अलावा प्रभावित राज्यों को उनके अनुरोध पर खाद्यान्नों, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल, दवाईयां, चारा आदि का विशेष आवंटन किया गया है । आपात कालीन बचाव और सहायता कार्यों के लिए प्रभावित राज्यों को सशस्त्र सेनाओं से तुरन्त सहायता भी प्रदान कराई जाती है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, अभी हाल में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भयानक बाढ़ आई थी और बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने प्रचुर सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की, लागत राशि, कपड़े, गेहूं, कंबल उन्हें दिए जायेंगे ।

†सभा में यह प्रश्न डा० रत्नाकर पाण्डेय द्वारा पूछा गया ।

और आबियाना, भू-राजस्व सरकारी ऋणों, बिजली के बिलों की वसूली स्थगित की जायेंगी, खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार योजना बनाई जायेगी, किसानों को गेहूं का बीज मुफ्त मिलेगा, मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण दिए जायेंगे, इस तरह के आश्वासन सरकार की ओर से दिए गए । साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का, कि उन्होंने अपने सभी आवश्यक कार्यक्रम स्थगित करके बाढ़-ग्रस्त प्रांतों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का व्यापक दौरा किया और प्रभावित लोगों से उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की और इन तीनों अत्याधिक बाढ़-ग्रस्त प्रांतों में लगभग पौने दो अरब की बाढ़ सहायता राशि देने की घोषणा की तथा उन्होंने केवल शरीक होने के लिए बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया बल्कि अखबारों की रिपोर्ट है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ग्राम सहारनी के पास जिला प्रशासन द्वारा प्रधान मंत्री के लिए निश्चित किए गए स्थान को छोड़ कर श्री राजीव गांधी सहित श्रीमती सोनिया गांधी लगभग डेढ़ किलोमीटर पैदल चल कर बाढ़ के पानी में डूबे सहारनी ग्राम के आबादी वाले क्षतिग्रस्त इलाकों में पहुंच गए और वहां उन्होंने सब कुछ देखा। तो मैं इसके लिए सरकार को . . . (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह सोनिया गांधी कौन है . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप जरा प्रश्न कीजिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं लेकिन अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो क्या उसकी प्रशंसा करने का भी . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : नहीं, आप प्रश्न कीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं प्रश्न कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का दौरा किया गया और पंजाब को 100 करोड़ रुपया, हरियाणा को 42 करोड़ रुपया तथा हिमाचल प्रदेश को 33.11 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई । माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ प्रभावित प्रांतों को सहायता देते समय कोई ऐसी गाइडलाइन या दिशा-निर्देश भी दिए हैं कि अमुक राशि किन-किन कार्यों के लिए खर्च की जाए और खर्च करने के बाद केन्द्र को उसका ब्यौरा दिया जाए और उस ब्यौरे की जांच कराने का भी कोई प्रारूप बनाया है केन्द्र सरकार ने और यदि ऐसा है तो इसके बारे में क्या विवरण है ? इसकी डिटेल्स हम जानना चाहते हैं ।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, देश में कई प्रांतों में बाढ़ आई है और ज्यादा बाढ़ जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा आसाम, पंजाब, हरियाणा, जे० एण्ड के० और हिमाचल प्रदेश में है और कुछ बहुत से बाकी हिस्से अन्य प्रदेशों के भी हैं जैसे बिहार का हिस्सा भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, इन प्रदेशों में भी बाढ़ आई है। जहां भी बाढ़ आई, भारत सरकार की तरफ से फौरी तौर पर सहायता की गई । सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में 240 करोड़ रुपया इस बात के लिए रखा जाता है, प्रदेशों को दिया हुआ होता है, बजट में प्रावधान होता है कि कहीं भी फौरी तौर से कोई विपदा आ पड़े तो फौरी तौर से उन लोगों की मदद करनी है, जो लोग इससे मुत्तासिर हुए हों ।

इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी ने, जहां भी भयंकर बाढ़ आई, मंत्रियों को आदेश दिए, हम भी मौके पर गए और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी एक-एक दिन में छह सौ छह सौ किलोमीटर चलकर के और ऐसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों में जाकर उन लोगों को देखा कि बाढ़ से उन लोगों का क्या नुकसान हुआ है और किस तरह की मुसीबत उनके सामने है और उसके लिए फौरी तौर से एड और रिलीफ भी देने की घोषणा की ।

जैसे अभी पंजाब में वे गए, वहां कह दिया कि 100 करोड़ रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं और जब टीम आएगी देखकर जायजा लेगी कि ज्यादा जरूरत है तो और भी पैसा देंगे। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश को भी 42 करोड़ रुपया दिया, जम्मू और काश्मीर को और हिमाचल प्रदेश को भी सभी प्रदेशों को सहायता दी हमने फौरी तौर से यह फैसला किया कि ज्योंही मेमोरंडम प्रदेश का आ जाता है तो एक हफ्ते के अंदर टीम भजेंगे और एक हफ्ते से पहले टीम चली गई। हमने टीम को यह भी कहा, क्योंकि पहले बहुत टाइम लग जाता था, कि वह भी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को एक हफ्ते के अंदर दें। टीम ने ज्योंही रिपोर्ट भारत सरकार को दी, भारत सरकार ने भी उसका फैसला एक हफ्ते के अंदर कर दिया तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की मदद करने की बात थी, पूरी मदद की गई है।

आपने पूछा कि किस-किस कार्यक्रम में उन लोगों की मदद होगी? सभापति महोदय, आप जानते है कि इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। जहां व्यक्ति मरे है, प्रधान मंत्री ने अपने कोष में से दस-दस हजार रुपया देने का फैसला किया और लोग जहां भी मरे, प्रधानमंत्री जी ने फी व्यक्ति दस-दस हजार रुपए के हिसाब से सब प्रदेशों को भेज दिया। इसी तरह भारत सरकार की तरफ से दस हजार रुपए, जो व्यक्ति मर गए हैं, उनके परिवारों को मिलेंगे। यहां अभी नहीं मिले हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को उसी वक्त कह दिया था कि फौरी तौर से जो मिनिमम वेज उनके पास है, जो मार्जिनल मनी उनके पास है, उस मार्जिनल मनी में से फौरी तौर से दस हजार रुपया उस व्यक्ति के परिवार को दिया जाय, जिसकी बाढ़ की वजह से मौत हो गई, मकान गिरने से मौत हो गई। जो व्यक्ति अपंग हो गया है, उसको भी ढाई हजार रुपए इलाज के लिए देना है, जिनके हाथ पर टूट गए। इसी तरह से जो मकान गिर गए हैं, मकान बनाने के लिए सरकारी तौर से सबसिडी दी जाएगी। एक हजार रुपए, पांच सौ रुपए, दो सौ रुपए मरम्मत के लिए भी रखें हैं। इसी तरह से सड़कें टूट गई हैं, अस्पताल की बिल्डिंग गिर गई है, पुलें गिर गई है, बहुत सी पुलियां खराब गई है, बहुत से बड़े-बड़े ब्रिजेज टूट गए हैं। यह जितना भी नुकसान हुआ है, उसके लिए बाकायदा टीम जब प्रदेशों में जाती है और टीम जाकर जायजा लेकर रिपोर्ट देती है। और लोगों की इस स्टेट की हर तरह से मदद की जाती है। जैसा मैंने बताया, हर स्टेट की हमने पूरी मदद की है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, मैंने पूछा था कि क्या गाइड-लाइन्स दी गयी है और उन गाइडलाइन्स का किस रूप में उपयोग होगा? उसका जवाब नहीं मिला। मैं इस बात के लिये माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने विस्तृत विवरण दिया। लेकिन गाइड-लाइन की डिटेल न तो, जो जवाब टेबल पर रखा गया है, उसमें दिया गया है और न ही अभी जवाब में आया है।

श्री सभापति : उन्होंने दिया न, कि दस हजार, ढाई हजार, पांच सौ...

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैं इनको गाइडलाइन के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे वहां से मेमोरंडम आया है, उन्होंने कहा कि इतने आदमी मर गये उसके लिये इतना पैसा चाहिये, इतने पशु मर गये उसके लिये इतना पैसा चाहिये, इतने मकान गिर गये उसके लिये इतना पैसा चाहिये, इतनी सड़कें टूट गयीं उसके लिये इतना पैसा चाहिये, अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग डिमांड है, अलग-अलग डिफिकल्टीज हैं। जिस हिसाब से जो पैसा उन्होंने मांगा है, उसी हिसाब से भारत सरकार ने पैसा दिया है। और भारत सरकार इस बात को चेक करेगी, मानीटर करेगी कि जिस काम के लिये जिस स्टेट को पैसा दिया है, वह पैसा उसी काम पर खर्च हो। अगर कोई स्टेट उस पैसे को दूसरी साइड में डायवर्ट करेगी तो भारत सरकार उस मामले में एक्शन लेगी और उस स्टेट से पैसा वापिस लेने की कोशिश करेगी।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, चण्डीगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के बाद प्रधान मंत्री जी ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि राहत पहुंचाने के लिये बाढ़ सहायता मानदंडों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इन राज्यों के परिवारों की प्रोपर्टी आप अन्य राज्यों के परिवारों से ज्यादा है इस कारण कम परिवार बाढ़ सहायता पाने के अधिकारी हैं । अतः सहायता के मानदंडों में परिवर्तन की आवश्यकता है । योजना आयोग को यह काम जल्दी करना चाहिये । जैसाकि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कृषि मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ मिल कर उन सहायता मानदंडों में परिवर्तन की आवश्यकता पर क्या कार्यवाही की है ? अगर कार्यवाही की गयी है तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री मजन लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की बात में बड़ा भारी वजन है। वह इसलिये कि जो मानदंड बने हैं, यह बहुत पुराने हैं । पुराने इसलिये हैं कि यदि किसी का मकान गिर जाए तो एक हजार रुपये की सहायता अगर वह मकान दूसरी जगह बनाये, यदि उसी जगह बनाये तो 500 रुपये । यह सहायता मंहगाई के इस युग में बहुत कम है, इसलिये प्रधान मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया कि इन मानदंडों में परिवर्तन होना चाहिये और सहायता की सीमा बढ़ायी जानी चाहिये । उस बारे में विचार हो रहा है । पहले जहां बाढ़ में बहुत मिट्टी आ जाती है उसके लिये खास पैसा नहीं मिलता था । उसके लिये भी हम विचार कर रहे हैं । अभी जैसाकि पंजाब के अंदर जाकर देखा, आसाम में देखा, बहुत ज्यादा बालू-रेत ने खेत को दो फुट तक ऊंचा कर दिया । जिस खेत में सिंचाई कैनाल से होती है और यदि वाटर कोर्सेस के लेवल से जमीन ऊंची हो जाती है तो उसमें पानी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । इसलिये भारत सरकार इस दफा मिट्टी हटाने के लिये भी पैसा देने जा रही है ।

श्री सभापति : फैसला जल्दी करेंगे ।

श्री भजन लाल : करने जा रहे हैं । मैंने यह कहा कि इस बारे में मीटिंग हुयी है, विचार हो रहा है और बहुत जल्दी फैसला करने जा रहे हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कब तक, महीना, दो महीना, चार महीना ?

श्री भजन लाल : इसी सीजन में जहां मिट्टी आ गयी है, उस को हटाने के लिये हम पैसा देने जा रहे हैं ।

श्री वेंकट उत्साही : सभापति महोदय, मेरे भाई रत्नाकर पाण्डेय जी ने जो सवाल किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार की बाढ़ ने विशेष तौर पर उत्तरी भारत में कयामत मचाई हुयी है । साथ ही किसान ने जिस हिम्मत और साहस से इस भीषण बाढ़ का जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । हमारी केन्द्रीय सरकार विशेषकर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपनी इंसानी, जम्हूरी और इक्तसादी फर्ज से कोताही नहीं बरती, इसके लिये वे मुबारकबाद के पात्र हैं । ऐसी भीषण बाढ़ आई कि मजबूरन किसान को यह कहना पड़ा कि–

> "बाजारों में मंहगाई की बिखर गयी तस्वीरें, बाजारों में मंहगाई की बिखर गई तस्वीरें हमदर्दों के पांव पड़ गई वायदों की जंजीरें और संसद की कुर्सी में रह गई खेती और किसानी।"

तो यह ऐसी भीषण बाढ़ थी । सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन-किन प्रांतों ने केन्द्रीय बाढ़ सहायता का नाजायज इस्तेमाल किया है ? उसके वितरण में मनमानी की है और कुछ सरकारों ने इस सहायता को लेने से इंकार कर दिया है । अगर यह सच है तो ये कौन-कौन सी सरकारें हैं और उनका क्या ब्यौरा है । यह मेरे प्रश्न का भाग "अ" है । "ब" है कि अभी बताया गया कि प्रभावित किसानों को बीज मुफ्त दिया जाएगा और सरकार बाढ़ से खराब हुयी फसल की हानि की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

†[شری بھجن لال: سبھاپتی مہودے - میرے بھائی رتناکر پانڈے جی نے جو سوال کیا ہے اسکا میں سمرتھن کرتا ہوں - اسمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بار کی باڑھ نے وشیش طور پر بھارت میں قیامت مچائی ہوئی ہے - ساتھ ہی کسان نے جس ہمت اور ساہس سے اس بھیشن باڑھ کا جو منہ توڑ جواب دیا ہے اسکے لئے وہ بدھائی کے پاتر ہیں - ہماری کیندریئے سرکار وشیش کر پردھان منتری شری راجیو گاندھی جی نے اپنے انسانی - جمہوریت اور اقتصادی فرض سے کوتاہی نہیں برتی - اسکے لئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں - ایسی بھیشن باڑھ آئی کہ مجبوراً کسان کو یہ کہنا پڑا کہ -

بازاروں میں مہنگائی کی بکھر گئی تصویریں
ہمدردوں کے پاؤں پڑ گئیں وعدوں کی زنجیریں
سنسد کی کرسی میں رہ گئیں کھیتی اور کسانی

تو یہ ایسی بھیشن باڑھ تھی - سبھا پتی مہودے - میں منتری مہودے سے جاننا چاہونگا کن کن پرانتوں نے کیندریئے باڑھ سہائتا کا ناجائز استعمال کیا ہے - اسکے وترن میں من مانی کی ہے اور کچھ سرکاروں نے اس سہائتا کو لینے سے انکار کر دیا ہے - اگر یہ سچ ہے تو یہ کون کونسی سرکاریں ہیں - اور انکا کیا بیورا ہے - یہ میرے پرشن کا بھاگ "اے" ہے - "بی" ہے کہ ابھی بتایا گیا کہ پربھاوت کسانوں کو بیج مفت دیا جائیگا اور سرکار باڑھ سے خراب ہوئی فصل کی ہانی پورتی کیلئے کیا قدم اٹھانے جا رہی ہے -]

†[]Transliteration in Arabic Script.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूंछी इस बात का जवाब तो पहल मैंने तकरीबन दे दिया है लेकिन एक चीज इन्होंने कही कि जो सहायता दी, उससे कौन सी स्टेट ने इंकार किया । स्टेट के इंकार के नाते तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं ये हरियाणा की बात कहते होंगे, मेरा ख्याल ऐसा ही है । क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने अपने कोष में से जैसे पंजाब को 20 लाख रुपया दिया, हिमाचल को 10 लाख रुपया दिया, हरियाणा को 3 लाख रुपया दिया । किस बात के लिये, इस बात के लिये कि जो लोग मर गये हैं उनके परिवार को 10-10 हजार रुपया देने के लिये लेकिन उन्होंने यह कहकर वापिस लौटा दी राशि कि यह तो बहुत थोड़ा पैसा हमको दिया गया है । उन्होंने थोड़ा सा गहराई से विचार नहीं किया कि यह पैसा बाढ़ राहत के लिये नहीं था, यह उन लोगों की सहायता के लिये था जो मरे थे ।

श्री पर्वततेनि उपेन्द्र : क्या आपने स्पष्ट किया था ?

श्री भजन लाल : एक सैकिन्ड, मैं बताता हूं कि क्यों दिया 3 लाख रुपया वहां पर। मिसाल के तौर पर आंध्र में तो मर जाएं 100 आदमी और हरियाणा में मर जाएं 10 आदमी तो पैसा बराबर देंगे क्या? हरियाणा में टोटल 27 आदमी मरे। 27 आदमी को अगर 10 हजार के हिसाब से दे तो 2 लाख 70 हजार रुपया बनता था। प्रधान मंत्री ने 3 लाख रुपया भेजा वहां, 30 हजार फालतू भेजा, इसलिये कि फालतू रह जाए तो बाद में थोड़ी जरूरत के लिये काम आ जाए। लेकिन बाद में जब उनको 15 करोड़ रुपया दिया तो वह वापस क्यों नहीं किया उन्होंने? उसके लिये तो धन्यवाद किया प्रधान मंत्री का और 15 करोड़ नहीं बल्कि कुल मिलाकर 42 करोड़ दिया है और अब जो स्कीम गयी और उनको पैसा दिया है, कुल मिलकर मैं समझता हूं कि शायद 55 करोड़ रुपये के करीब हो जाएगा। 36.14 करोड़ रुपया अब उनको और दिया है...

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद दिया है या नहीं दिया?

श्री भजन लाल : मुझे तो धन्यवाद वह कम देते है, लेकिन वह भारत सरकार को धन्यवाद कर दें या प्रधान मंत्री को कर दे उसी में हम सबका हो जाता है। तो इसमें हमने पूरी मदद देने की उनको कोशिश की है।

श्री सभापति : श्री कुलकर्णी।

श्री बेकल उत्साही : सर, किन प्रांतों ने दुरुपयोग किया?

†[شری بیکل اتساهی - سر، کن پرانتوں نے دروپیوگ کیا ؟]

श्री सभापति : क्या आप बता सकते हैं कि किन प्रांतों ने दुरुपयोग किया?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, बाढ़ का पैसा अभी दिया है, कुछ दिया जा रहा है। अभी तक इस बात की जांच नहीं हो पायी है कि किसने दुरुपयोग किया है। अगर कहीं से भी शिकायत किसी भी माननीय सदस्य के नोटिस में आए तो वह भारत सरकार के नोटिस में भी लाए और हम भी अपनी तरफ से देखेंगे कि जहां कहीं भी इसमें कोताही मिलेगी तो भारत सरकार की तरफ से पूरा उनको कहा जाएगा और पूरा एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, पैसे के मामले में।

श्री सभापति : श्री कुलकर्णी।

SHKI A. G. KULKARNI: Sir, it is gratifying to note that the Government has taken cognizance of the damage and deaths caused by floods, but.[I would like to stress upon the hon. Minister that an early action is to be taken. The hon. Minister has talked about the old criteria adopted foe granting assistance in the form of loan for future rabi crops. Then he has said something about damages to houses, but an early action is very **necessary. In Nanded, Marathwada, houses have been damaged heavily.**

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: It is my place. I may also be given a chance.

MR. CHAIRMAN: He is asking on your behalf,

SHRI A. G. KULKARNI: When Maharashtra State has asked for a grant of Rs. 475 crores. A memorandum has already been sent. I would request you, in all magnanimity your Prkni Minister has given money to Punjab, Haryana and various other States, will it be possible to give an ad hoc grant of at least 50 crores of rupees because Rs. 475 crores is beyond the capacity of the Maharashtra State? So I would request and insist on you that an ad hoc grant should be made available because your team has just now left for Maharashtra and the re. port will come in due course.

And my last point is about the rabi crop. Mr. Minister, you please see the papers afterwards....

†[]Transliteration in Arabic Script.

Mr. CHAIRMAN: He wants to know when you will give the amount to Maharashtra which has suffered so much damage.

SHRI A. G. KULKARNI; That one thing. The second one is about the criteria. And the third one is about the loans given to farmers. For the last three or four years, they were under drought; this year they are under floods. There is no capacity, as per the NABARD guidelines, to get further loans. So I would request the Minister to use his influence with the Minister of Finance to give loans to the agriculturists for future operations on a cash-credit basis.

श्री भजन लाल : माननीय, कुलकर्णी जी ने दो बातें खास तौर से पूछीं। एक तो महाराष्ट्र के बारे में कि उनको सहायता नहीं दी गई। महाराष्ट्र से हमारे पास मैमोरैंडम 27 अक्तूबर को आया।

SHRI A. G. KULKARNI: I know that.

श्री भजन लाल : आप जानते हैं कि 27-10-88 को मैमोरैंडम आया, तो हमने टेक्निकल टीम बना ली जो पहली तारीख को वहां देखने के लिये चली गई।

SHRI A. G. KULKARNI: I thank you for that. ऐड-हाक पेमेंट करो, पैसा दो।

श्री भजन लाल : मैं अभी उसी पर आ रहा हूं। ज्यों ही टीम वापस आ जाएगी तो एक हफ्ते में वह अपनी रिपोर्ट दे दें और उसके अनुसार भारत सरकार पैसा देगी। उनका मैमोरैंडम 174 करोड़ रुपये का आया है। इसे देखने के लिये टीम गयी है कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद उनको पैसा देंगे।

SHRI A. G. KULKARNI: What aboutthe re-scheduling of loans? What areyou going to do about that? Sir, yourtrain is very fast today.

MR. CHAIRMAN: Already 23 minutes have been spent on one question.

श्री भजन लाल : आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूं।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV; Sir. my district is badly affected. Please give me an opportunity to ask my supplementary, I have given my name.

MR. CHAIRMAN: I will have to see. There are others also. I should not be unfair to other questioners also.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV 1 raised my hand, Sir.

MR. CHAIRMAN: That is all right. But I have to see.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Sir,

श्री भजन लाल : मैं कुलकर्णी जी की बात का जवाब दे दूं, बाद में आप पूछिए।

श्री सभापति : आपका सवाल नहीं है। आप इनके सवाल का जवाब मत दीजिए।

श्री भजन लाल : जहां तक लोन के रिशैड्यूलिंग का ताल्लुक है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि जहां...

my State is also badly affected. We have submitted a memorandum to the Central Government. Please give me a chance also.

श्री भजन लाल : जहां तक लोन का रिशैड्यूलिंग का सवाल है, भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां-जहां भी सूखा पड़ा है, दो तीन साल से, वहां जो लोन की वसूली एक साल में या दो साल में होनी थी वहां वह 7 साल में वसूल किया जाएगा और जहां दो साल से ज्यादा का समय था, वहां 10 साल में वसूली होगी। जहां बाढ़ आ गई,

वहां भी हमने इसे मुल्तवी करने का फैसला किया है ।

श्री सभापति : आप शार्ट में जवाब दीजिए ।

SHRl PARVATHANENl UPENDRA: Sir, I am sorry to say that the Central Government is playing politics even while dealing with human misery... *(Interruptions).* My supplementary has got three parts: One is, the Minister has explained in the first part of his statement the procedure adopted in giving Central assistance—that is only on receipt of the memoranda and after the visits of the Central teams. But very often we find as in the recent cases, the Prime Minister makes announcement of ad hoc grants to certain States—Rs. 100 crorcs to some State, Rs. 50 crores to some, Rs. 34 crores, Rs. 42 crores and so on. We don tgrudge it—we welcome it. But. in the case of certain other States they have insisted on the memoranda, visits of the Central tcsms, their reports, etc., as explained in the first para. On what basis is the Prime Minister making these ad hoc grants, even without the memoranda being submitted? That is Part (a) of my supplementary

Secondly, this is not assistance as such, though so much fuss is being made that it is Central assistance. Actually it is an advance to be adjusted against the next year's Central assistance—and it is not a grant at all. I Will the Givernment consider treating the .whole amount as a grant? That is part (b) of my supplementary.

Part (c) of my supplementary is this: He has agreed to revise the yardsticks for assistance. Now, for example, if a man dies, so many hundreds of rupees are given, and • so many hundreds if a house collapses and so on. But, even then, whatever memoranda the State Government submits—giving a list of all the damages oh the basis of the same yardsticks they are not giving the amount fully. Mathematically, say, if the total amount comes to Rs. 300 crores, they ,give only Rs. 30 crores. On what basis is this being decided? If you are giving only one-tenth of the amount, demanded as per the yardsticks, how is it that you arc arbitrarily fixing the Central assistance?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, उपेन्द्र जी ने तीन बातें कहीं । एक तो यह कहा कि कई स्टेटों में बगैर ज्ञापन आए, बगैर मेमोरेंडम आये प्रधान मंत्री जी ने पैसा कैसे दे दिया । सभापति जी, आप जानते हैं जहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है वहां एडहोक तौर से सहायता करनी पड़ती है । वह तो एडहोक सहायता है । मेमोरेंडम ज्यों ही आयेगा उसको एडजस्ट कर लिया जायगा । मिसाल के तौर पर जैसे पंजाब को 100 करोड़ दिया और नुकसान उनका 1200 करोड़ का हुआ बताया है । जो टीम जायेगी वह जाकर देखेगी कि नुकसान कितना हुआ है और जो रिपोर्ट टीम देगी और उस पर भारत सरकार जो फैसला करेगी उसके हिसाब से जो एडहोक ग्रांट दी गयी है वह उसमें से काट दी जायेगी और बाकी पैसा उनको दे दिया जाएगा । इसी तरह से सब स्टेटों का है ।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : सब स्टेटस में ऐसा नहीं होता है, यही तो शिकायत है।

श्री भजल लाल : अभी प्रधान मंत्री जी असम गये और वहां 40 करोड़ की एडहोक एनाउन्समेंट की और वह दे दी गयी । बाद में उनका जायजा लिया गया तो वह लगभग 86 करोड़ का नुकसान हुआ । उनका नुकसान 85 करोड़ 36 लाख रुपय का बठता है । यह सहायता जो उनको देनी थी इसमें से 40 करोड़ जो एडहोक दे दिया गया था वह उसमें से काट कर बाकी उनको दे दी गई । कछ स्टेटों में जहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है वहां फौरी तौर पर मदद करनी पड़ती है । आप आन्ध्र से ताल्लक रखते हैं । आंध्र प्रदेश में इतनी बाढ़ नहीं आयी है । इसके बावजूद भी हमने आंध्र को 28 करोड़ 76 लाख रुपये दिये ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : जब बाढ़ नहीं आयी तो क्यों दे दिया ?

श्री भजन लाल : यह कह दें कि क्यों दे दिया तो ठीक है । यह 19 अक्तूबर को दिया है । इसी तरह से आपने कहा कि मापदण्ड ठीक नहीं है । मापदण्ड के बारे में मैंने पहले ही हाउस में अर्ज किया कि यह बहुत पुराना बना हुआ है । इसके ऊपर विचार किया जा रहा है । इसको हम बदलने जा रहे हैं ताकि पूरी सहायता लोगों की की जा सके ।

SHRI PAKVATHANENI UPEN-DRA What about the third point. Sir, whether the amount will be trea-ed as grant?

श्री भजन लाल : दूसरी बात आपने कही कि किसी प्रदेश के साथ भेदभाव होता है । भेदभाव का तो कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री सभापति: वे जानना चाहते हैं कि क्या आप इसको माफ कर देंगे ?

श्री भजन लाल : स्टेट्स को जो हम देते हैं वह बाकायदा फाइनेंस कमीशन की रिकमेन्डेशन्स के आधार पर देते हैं । उसमें एडजस्ट करने की बात होती है तो एडजस्ट करते हैं और बाकी सहायता के तौर पर देते हैं ।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : यह सहायता कहां होती है ?

श्री भजन लाल : 75 परसेंट भारत सरकार की सहायता है । यह तकरीबन 75 परसेंट होती है ।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : यह सहायता कैसे हो सकती है ?

when you are recovering the amount or adjusting it?

SHRI RAOOF VALIULLAH: Sir, it has been stated that the Central assistance is being determined following the established procedure of processing relief memoranda. Sir the norms for Central assistance, are very old, and there have been representations from the State Governments.

MR. CHAIRMAN; He has said that they are reconsidering the whole thing

SHRI RAOOF VALIULLAH; No. He said abou the norms vis-a-vis ex-gratia payment, gratutous relief and all that. But about norms for financial assistance, I went to know whether that is also being considered by the Central Government.

Secondly, wherever the State's share of margin money has been utilised, the Centr lashare of the mragin money is also released. I want to know which were the States in which the margin monej' was utilised and the Central share was released.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मार्जिन मनी हर स्टेट इस्तेमाल करता है । जहां भी कोई आपदा आ जाय, बाढ़ आ जाय, सूखा पड़ जाय, भूकम्प आ जाय तो राज्यों की सहायता की जाती है । माननीय सदस्य खास तौर से से गजरात से ताल्लक रखते हैं, गजरात को भी हमने सूखे में बहुत बड़ी मदद की है । लेकिन इस साल बाढ़ की वजह से गुजरात को 27 करोड़ रुपया दिया है : जहां तक गुजरात की मार्जिन मनी का ताल्लुक है, गुजरात की मार्जिन मनी 28 करोड़ 75 लाख रूपये है । मार्जिन मनी में पहले 50-50 का शेयर होता है और बाद में खर्च हो जाता है तो 75 परसेंट भारत सरकार उसमें सहाता करती है ।

श्री रऊफवली उल्लाह : मैंने यह पूंछा है कि किन स्टेटस ने इस मार्जिन मनी को यटिशाइज किया है और किन स्टेटस को आपने पैसा दिया है ?

My question was never related to Gujarat. I know that you have given it to Gujarat.

श्री भजन लाल : आसाम में 3,325 करोड़, बिहार में 16 करोड़ 87 लाख । गुजरात में मार्जिन मनी जो उन्होंने खर्च की और जो भारत सरकार ने अपना शेयर दिया वो भी मैं बताता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आसाम की टोटल मार्जिन मनी 7 करोड 25 लाख रूपये थी, इसमें भारत सरकार का आधा हिस्सा होता है । इसलिये भारत सरकार ने 3 करोड 62 लाख 50 हजार रुपये 19-7-88 को दिये । इसी तरह से बिहार की मार्जिन मनी 33 करोड़ 75 लाख रुपये थी । भारत सरकार ने 16 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये 6-9-88 को दिये । इसी तरह से गुजरात में 28 करोड़ 75 लाख रुपये थी । भारत सरकार ने 14 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये 22-6-88 को दिये ।

श्री सभापति : यह सारी डिटेल आप टेबेल पर रख दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री भजन लाल : वे पूछ रहे हैं इसलिये मैं बता रहा हूं । यह टेबल पर रखने वाली चीज नहीं है । चूंकि सवाल पूछा गया है इसलिये मुझे जवाब देने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री सभापति : सवाल यह है कि इस पर टाइम कितना लगेगा । 34 मिनट इस सवाल पर पहले ही लग चुके हैं ।

श्री भजन लाल : आपने नार्म्स की बात कही है । मार्जिन मनी के बारे में नार्म्स तो 50-50 है... (व्यवधान) ।

श्री रऊफ वलीउल्लाह : फाइनेंस कमीशन के रूल्स में क्या आप कोई चेन्जेज ला रहे हैं ?

श्री भजन लाल : टोटल 240.75 करोड़ रुपये इस साल सारे देश के लिये रखे हुये हैं । जहां भी खर्च हो जाते हैं और जहां खर्च नहीं होते है तो अगले साल में कैरी फार्वर्ड हो जाते हैं, जितना खर्चा हो जाता है उसको दुबारा नये सिरे से बजट में रख कर हर साल 240.75 करोड़ रुपया देश के अंदर मार्जिन मनी बाकायदा रखी जाती है ताकि मुसीबत के समय वह पैसा लोगों के काम में आये ।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : सर, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के गोदामों में रेजेक्टेड ग्रेन के तौर पर काफी परसेंटेज दिया जाता है । मैं जानना चाहती हूं कि हर एक स्टेट में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के गोदामों में कितना रेजेक्टेड ग्रेन के तौर पर दिया गया है और इन फ्लड एफेक्टेड स्टेट्स को कितना दिया गया है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इस सवाल का मेरे से ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि फूड सप्लाई का महकमा इनके पास है ।

MR. CHAIRMAN: Food Corporation is not under him. It is under the Ministry of Food and Civil Supplies.

DR. (SMT.) SAROJINI MAHISHI: But grains are given through him.

श्री भजन लाल : लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी घटिया अनाज खाने के लिये किसी भी प्रदेश को नहीं दिया जाता है । वाकायदा, देखकर, खाने के लायक जो अनाज होता है वही दिया जाता है। घटिया अनाज देने का कोई सवाल नहीं है । ये आंकडे मेरे पास नहीं हैं कि कितना परसेंटेज खराब होता है । यह आप सुख राम जी से पूछिये ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूंछना चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट नानदेड फ्लड एफेक्टेड है, फ्लड और हैवी रेन से एफेक्टेड है ।

श्री सभापति : आपके फाइनेंस मिनिस्टर वहीं से हैं । छोटा सा सवाल कर लें ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : 380 करोड़ रुपये का नुकसान महाराष्ट्र को हुआ है । महाराष्ट्र सरकार ने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें से उन्होंने केन्द्रीय सरकार से 185 करोड़ रुपये मांगे हैं । केन्द्रीय सरकार पहले 25 अक्तूबर को टीम भेजने वाली थी । अभी मन्त्री महोदय ने कहा

कि 27 तारीख को यह आया है । मगर हमारी इन्फर्मेशन यह है, उस समय मे अपने डिस्ट्रिक्ट में था कि 25 तारीख को टीम आने वाली थी । लेकिन तब से एक-डेढ़ महीने हो गये है ।

श्री सभापति : आपका सवाल है कि टीम देर से क्यों गयी ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : बहुत इम्पार्टेंट सवाल है सर ।

MR. CHAIRMAN: I can't permit you like that. Already 37 minutes have passed. He has already asked that question.

You are taking a lot of time. (Interruptions)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 185 करोड़ रूपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मांगे हैं उसमें से कितना हिस्सा और कितना पैसा सरकार जल्द से जल्द लोगों को राहत कार्य के लिये देने वाली है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, उस एरिया में दो दफे बाढ़ आयी । एक 7-10 को आई और दूसरी 22-10 को आई । हमने उनसे कहा कि टीम आ रही है उन्होंने कहा कि 22-10 का मेमोरेंडम भी हम भेज देंगे तब आप टीम भेजें ताकि इकट्ठी टीम को भेजा जाये, दोनों बाढ़ों के लिये ।

श्री सभापति : आपकी गलती नही है ।

श्री भजन लाल : इसमें हमारी गलती नहीं है । इसलिये मैं तफसील में बता दूं . . .

श्री सभापति : तफसील में तो बता रहे है

You need not answer anybody who puts a question like that.

DR. NAGEN SAIKIA: The Minister has stated that Rs. 40 crores has already been released to Assam. 1 want to know whether it has been re-lesaed as a grant or as a loan. I am I am askign this question because I understand tha the Central Government has already levied 6 per cent interes ton that amount. My question is wheher it is a grant or a loan.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैंने अभी सदन में बताया कि 40 करोड रुपया उनको वेज एंड मीस के हिसाब से दिया ताकि उसे वह फौरी तौर से खर्च कर लें । उनके पास पैसा नही था इसलिये भारत सरकार ने उनको एडहाक वेज एंड मींस दिया और वहां हमारी टीम गयी । जब उस टीम की रेकमेंडेशस आ गई तो फौरन हमने उनको 31-10 को 85 करोड 36 लाख रुपये रिलीज कर दिये ताकि वे खर्च कर सकें । जो सहायता का नार्म है कि वह कितनी हो, बाकायदा फाइनेंस कमीशन इसकी रेकमेंडेशस करता है और उस हिसाब से हम मदद करते हैं । जैसा मैंने कहा कि . . . (व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल मट्ट : यह रूल है यह जवाब मे बता दीजिए ।

MR. CHAIRMAN: He wants to know whether it is a loan or a grant.

श्री भजन लाल : नहीं, नही, यह सहायता के तौर पर है लेकिन उसमें परसेंटज है । बाकायदा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडशन है उसमें बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट कुछ खर्च करती है बाकी भारत सरकार देती है ।

SHRI DHARANIDHAR BASU-MATARI; Sir, I have a sad experience about the Government of Assam because I am a member of some Committee.

श्री सभापति : आप क्वेश्चन कर लीजिये ।

SHRI DHARANIDHAR BASU-MATARI: I have found that the Gov-emment of Assam never 6pends themoney sent by the Government of

India. May I know from the Minister whether he has set up any committee to oversee that this *money* is spent only for the relief work and not diverted for other purposes?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय इतनी जल्दी कहना सम्भव नहीं है क्योंकि पैसा अभी दिया है ।

DR. NAGEN SA1KIA; Will you be able to prove this?

MR. CHAIRMAN; Will you set up a Committee *to* see whether the money has been properly spent and not diverted?

SHRI DHARANIDHAR BASU-MATARI: They never spend the money properly. Instead they spend on other works I want to know from the Minister whether he will ensure that this money is not diverted for some other works.

DR. NAGEN SAIKIA; Why are you telling untruths?

SHRI PARVATHANENl UPEN-DRA Have you got any figures?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, बाकायदा भारत सरकार चेक करेगी सारी बात को लेकिन कहीं से शिकायत आएगी तभी करेगी ।फिर भी हम चेक करेंगे, मोनिटर करेंगे। जिन-जिन प्रदेशों को पैसा दिया है क्या वह उस काम में खर्च हो रहा है या नहीं ।

MR. CHAIRMAN He wants to now whether you have set up a Committee.

श्री भजन लाल : कोई लिखित शिकायत अभी नहीं मिली (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN; Q. No. 42. ... (Intemiptiotts)... No, I am not permitting. I have already spent 41 minutes.

Kelkar Committee on Newsprint Allocation Policy

*42. SHRI JERLIJE E. TARIANG: SHRI KAPIL VERMAtt

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state what are the recommendations of the Kelkar Committee regarding the newsprint allocation policy and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. KRISHNA KUMAR). A statement containing recommendations of the Kelkar Committee regarding the Long Term Newsprint Allocation Policy are laid on the Table of the House. (See APPendix CXLVIII, Annexure No. 7]

The recommendations in Step No. 1 are under consideration of the Goy-ment. The recommendations in Step No. II relate to long term policy to be formulated during the Eighth Five Year Plan.

SHRI KAPIL VERMA; Sir, as is well-known the newspaper industry is being crushed under the heavy weight of the rising prices of news-print and the result is that prices of all newspapers are going up. The newspaper readers are also being affected. The Kelkar Committee as a Step No. 1 has recommended that indigenous newsprint should be consumed, fully and that import should be treated only as a supplementary measure. But the indigenous newsprint pricese are very, very high and it is mostly produced by the plants set up by the Government itself and oyer and above that the quality is also very bad. May I know from the Minister whether the Government will take some steps to reduce the

†he question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.